भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3186

जिसका उत्तर 12 मार्च, 2020 को दिया जाना है।

.....

जल संसाधनों का उपभोग

3186. श्री इंद्रा हांग सुब्बा:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि क्षेत्र में हमारे देश के जल संसाधनों के लगभग 89 प्रतिशत की खपत होती और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार भूजल संसाधनों की कमी की समस्या का समाधन करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हिमालय क्षेत्र जल संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) जल के अभाव या खराब उपलब्धता वाले क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है/उठाये जायेंगे?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) दस्तावेज दर्शाते हैं कि भारत के उपलब्ध जल संसाधन का लगभग 80 प्रतिशत भाग कृषि में उपयोग होता है। वर्ष 2017 में केन्द्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से किए गए देश के डायनेमिक भूजल संसाधन आकलन के अनुसार कुल भूजल का लगभग 89 प्रतिशत, कृषि संबंधी कार्यकलापों के लिए प्रयोग किया जाता है।

(ख) जल, राज्य का विषय होने की वजह से जल संसाधन के प्रबंधन के उपाय मुख्यतया संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं। केन्द्र सरकार विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों को सहयोग देती है। केन्द्र सरकार ने देश में भूजल के सतत प्रबंधन के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

जल शक्ति अभियान (जेएसए), जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिए एक अभियान है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इस अभियान के दौरान भारत सरकार के अधिकारी भूजल

विशेषज्ञ और वैज्ञानिक जल संरक्षण और जल संसाधन प्रबंधन के लिए भारत के अत्यधिक जल की कमी वाले राज्यों और जिलों के जिला अधिकारियों के साथ मिलकर कार्य करते हैं।

अटल भूजल योजना जो विश्व बैंक निधियन के साथ 6000 करोड़ रूपए की स्कीम है, सामुदायिक भागीदारी के साथ भूजल के सतत प्रबंधन हेतु हाल ही में भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई है। इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए चिह्नित अति-दोहित और जल की कमी वाले क्षेत्र गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में आते हैं।

देश में भूजल के सतत प्रबंधन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित यूआरएल में दिए गए हैः-

http://mowr.gov.in/sites/default/files/Steps_to_control_water_depletion_Jun2019.pdf

(ग) वर्ष 2017 के देश के डायनेमिक भूजल संसाधन आकलन के अनुसार हिमाचल प्रदेश की 8 आकलन यूनिटों में से, चार, एक और तीन यूनिटों को क्रमशः 'अति-दोहित', अर्ध-गंभीर और सुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उत्तराखंड की 18 आकलन यूनिटों में से पांच यूनिटों को अर्ध-गंभीर के रूप में वर्गीकृत किया गया है और शेष 13 यूनिटों को सुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों में सभी आकलन यूनिटों को सुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत वाडिया, हिमालयी भूविज्ञान संस्थान नामक स्वायत्त शोध संस्थान की सूचना के अनुसार हिमालयी क्षेत्र के बहुत से झरने या तो सूख गए हैं अथवा सूखने की कगार पर हैं।

(घ) भारत सरकार ने मिशन शहरों में बुनियादी नागरिक सुविधाओं के विकास पर बल देते हुए वर्ष 2015-16 से 2019-20 की पांच वर्षों की अवधि के लिए देश के चुनिंदा 500 शहरों में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) शुरू किया है। इस मिशन के जलापूर्ति घटक के अंतर्गत मिशन शहरों में जलापूर्ति बढ़ाने के लिए वर्षा जल संचयन, विशिष्ट रूप से पेयजल आपूर्ति के लिए विशिष्ट रूप से जल निकायों के पुनरूद्धार, भूजल का पुनर्भरण, इत्यादि से संबंधित परियोजनाएं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शुरू की जा सकती हैं।

वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) के माध्यम से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिवस (एलपीसीडी) के सेवा स्तर पर पेयजल देने के लिए देश में प्रत्येक घर को सक्षम बनाने हेतु भारत सरकार ने राज्यों के साथ साझेदारी करके जल जीवन मिशन (जेजेएम) शुरू किया है।

*****